फर्द अहकाम

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी सिकराय (दौसा)

मदनलाल बनाम बाबूलाल वगै0

किस्म मुकदमा प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा मु.न. 79 / 24

ख हुक्म		नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
07.2024	प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा मय शपथ पत्र मय दस्तावेजों की नकलो की छाया प्रतिया संलग्न कर जरियें प्रार्थी अधिवक्ता श्री गोरधन गुर्जर द्वारा पेश किया गया। हमने प्रार्थी अधिवक्ता की प्रा0 अस्थाई निषेधाज्ञा के अंतरिम अनुतोष पर एक पक्षीय बहस सुनी गई बहस का मनन किया गया पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो की छायाप्रतियों का अवलोकन किया गया हमने प्रथम दृष्टया प्रार्थी अधिवक्ता की बहस से संतुष्ट होकर यह पाया कि प्राईमा फैसी केस , सुविधा का संतुलन व अपूर्णनीय क्षति का सिद्वान्त प्रथम दृष्टया प्रार्थी के पक्ष में पाये जाने पर अप्रार्थीगणो को अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को इस आशय कि अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वाके रामा डोलिका तहसील सिकराय जिला दौसा में खसरा नम्बर 130, 288, 289, 35, में आगामी आदेश तक मौके एवं राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाएं रखें एवं मौके पर किसी प्रकार का निर्माण नहीं करें एवं मौके पर किसी प्रकार का नवीन कार्य नहीं करें। अप्रार्थीगण की तलबी हेतु सम्मन जारी हो। पत्रावली वास्ते इन्तजार तामील अप्रार्थीगण दिनांक 24.09.2024 को पेश हो । उपखण्ड अधिकारी सिकराय (दौसा)	
29/7/24	पत्रावली में प्रार्थना पत्र मिसल तलबी/नोटप्रेस करने बाबत पेश किए जाने पर पत्रावली तलब की गई। प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया कि प्रकरण को आगे नहीं चलाना चाहते इसलिए खारिज किया जावे। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थना पत्र अस्थाई निषे० खारिज किया जाता है। उपखण्ड अधिकारी सिकराय (दौसा)	मदनलाल शर्मा L.T.I. by गोविंद